खण्ड-418, अंक-2
सोमवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1919
(21 अप्रैल, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1997)

खण्ड 418 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-घ
राष्ट्रीय-गीत	1
शपथ ग्रहण किये बिना सदन में बैठे हुये सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिये श्री अध्यक्ष का निर्देश	1-2
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	2-13
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 की त्रुटियों के शोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	14-15
उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 की त्रुटियों के शोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	15-16
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	16
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	16
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	16-17
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	17-18

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	18
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995(राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय को अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक)विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय को अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	20
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	20
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने की सूचना)	20-21
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	21-25
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	25-26
विधान सभा की वर्ष 1997-98 के लिये विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना	26-27
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरः स्थापित किया गया)	27-28
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक, 1997 (पुरः स्थापित किया गया)	28-29

उत्तर प्रदेश विधान सभा
(तेरहवीं विधान सभा)
सोमवार दिनांक 21 अप्रैल, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0	कानपुर नगर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
आलमबदी, श्री	आजमगढ़	रूप चौधरी, श्री	मेरठ
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी	फर्रूखाबाद	वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
पप्पू भइया	गोरखपुर	शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
धर्मज्ञ मिश्र, श्री	हरदोई	शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	सरजीत सिंह डंग, डा0	मिर्जापुर
प्रदीप कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

नोट-श्री आलमबादी व श्री वसीम अहमद ने शपथ नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार दिनांक 21 अप्रैल, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-

मैं आप सबका विधान सभा के इस प्रथम सत्र में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि हम सब 'वन्दे मातरम्' के लिये खड़े हो जायें:-

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

शपथ ग्रहण किये बिना सदन में बैठे हुये सदस्यों को सदन से बाहर जाने का श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(विपक्ष के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

यदि इस सदन में ऐसे भी सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है, वे कृपया सदन के बाहर चले जायें।

अब मैं मद संख्या-2 लेता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, श्री राज्यपाल जी समय से पहले 10 बजकर 56 मिनट पर आये और 10 बजकर 58 मिनट पर सदन से चले गये, इस तरह से यह अभिभाषण कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण,

विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस अधिवेशन में आपको सम्बोधित करते हुये मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह बड़े अफसोस की बात थी कि आजादी की पचासवीं सालगिरह में भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश विधान सभा चुनाव के बाद भी करीब पांच महीने तक एक लोकप्रिय सरकार से वंचित रहा। फिर भी 'देर आयद दुरूस्त आयद'।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर अभिभाषण को पढ़ने के लिये पुनः राज्यपाल महोदय को बुलाने का निदेश दें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

2-राष्ट्रपति शासन कभी भी लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प नहीं हो सकता है। यही कारण है कि पिछले पांच महीनों में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक निर्वाचित सरकार की कमी बड़ी गम्भीरता से महसूस की और सभी वर्गो ने इस नव-गठित बहुजन समाज पार्टी-भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार का स्वागत किया। इन पांच महीनों में प्रदेश में राजनैतिक दुराव ने जनता को लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा। इस अवधि में कानून व्यवस्था की स्थिति में भी गिरावट आयी। ऐसी स्थिति में नवगठित

नोट:- । . । यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ा हुआ माना गया।

लोकतांत्रिक सरकार का स्वागत किया जाना स्वाभाविक ही था। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में प्रदेश को ऐसे दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा।

3-आप सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुये जहां मुझे प्रसन्नता है वहीं इस बात का दुःख भी है कि फर्रूखाबाद से निर्वाचित विधान सभा सदस्य और पूर्व मंत्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी क्रूर हत्या से हमारे प्रदेश की शान्तिप्रिय जनता मर्माहत हुई है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

4-आप सब ने देखा है कि मेरे मंत्रिमण्डल में प्रदेश के लगभग सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मंत्रिमण्डल उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता के हित में निष्पक्ष नीतियों पर चलेगा। प्रशासन के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको एक नजर से देखकर न्याय दिया जायेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह रेखांकित करना चाहता हूं कि मेरी सरकार समतामूलक सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये उन लोगों को संविधान के तहत हर संभव विशेष अवसर देगी जो सदियों से दबे-कुचले, शोषित और उपेक्षित हैं। पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी सामाजिक बराबरी और विकास के मामले में मेरी सरकार प्राथमिकता और मदद देगी।

5-उत्तर प्रदेश में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, पंथों और सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हर किसी को उसके मजहब के मुताबिक उपासना की पूरी परम्परागत स्वतंत्रता रहेगी और किसी के भी धार्मिक स्थल चाहे वह मंदिर हों या मस्जिद, गिरिजाघर हो या गुरुद्वारा अथवा बौद्ध बिहार हो, सबकी पूरी रक्षा की जायेगी। किसी को दूसरे के धार्मिक या वैयक्तिक मामलों में दखल की इजाजत नहीं दी जायेगी।

6-आप सभी माननीय सदस्य सीधे जनता से जुड़े हैं और आपने महसूस किया होगा कि केवल कुछ हफ्तों में ही मेरी सरकार ने जो सख्त कदम उठाये हैं उससे अपराधियों तथा माफियाओं के मन में भय और दहसत पैदा होने लगी है। सरकार ने 8 अप्रैल से जो विशेष अपराध नियंत्रण अभियान शुरु किया है, मुझे उम्मीद है कि उसके पूरा होने पर, अगले महीने तक माहौल काफी बदला हुआ नजर आयेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अपराध के बढ़ने का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है और इस वजह से सरकार की ऊर्जा और संसाधन विकास के बजाय अनुत्पादक मदों में खर्च होते है। इसलिये विकास के हित में शान्ति व्यवस्था को कायम रखना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इस दिशा में आपराधिक तत्वों, हिस्ट्रीशीटरों एवं माफिया गिरोहों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने गम्भीर मामलों में गैंगेस्टर ऐक्ट,

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा गुण्डा ऐक्ट जैसे कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं, अवैध हथियार विशेष कर आधुनिक स्वचालित हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है । अपराधियों को शरण देने वालों व अपराधिक कार्यों में लिप्त पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है ।

7-कानून व्यवस्था के क्षेत्र में निर्बल वर्ग के व्यक्तियों विशेषकर दलितों, महिलाओं एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार एवं अपराध एक विशेष सामाजिक समस्या है और इसलिये हम इस पहलू पर विशेष जोर देंगे । मेरी सरकार इन वर्गों के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी या अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे तंत्वों के विरुद्ध जो कि अन्याय अथवा अत्याचार करते पाये जायेंगे, कठोर कानूनों का बेहिचक प्रयोग किया जायेगा । लेकिन इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा कि इन कानूनों का दुरुपयोग झूठे मुकदमें बनाकर बेगुनाह लोगों के खिलाफ न होने पाये ।

8-वन माफिया, तस्कर तथा हर प्रकार के अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये भारत नैपाल सीमा पर चार विशेष "बार्डर एरिया रेंज" तथा उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर एक विशेष रेंज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है । इनके कार्य की देख रेख करने के लिये दो विशेष जोन बनाये जाने का फैसला किया गया है । इन सबके ऊपर एक अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे । इन विशेष रेंजो एवं जोनों की पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें भी ली जायेंगी ।

9-मेरी सरकार को प्रदेश सरकार का दायित्व संभाले अभी केवल एक महीना हुआ है इस बीच सरकार ने जिस गति से जनहित में ठोस फैसले लिये हैं इससे उसकी दिशा और रीति-नीति साफ झलकती है । मेरी सरकार शासन प्रशासन को ऊपर से नीचे तक गतिशील बनाने के प्रति संकल्पबद्ध है ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत के साथ इस पिछड़े हुये प्रदेश की विकास की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाया जा सके । शासन व प्रशासन में लालफीताशाही को समाप्त करना हमारी प्रतिबद्धता है । विभिन्न स्तरों पर कार्यप्रणाली को सरल बनाया जायेगा ताकि प्रशासन और शासन आम जनता की आसान पहुंच में हो । प्रशासन व्यवस्था को संवेदनशील बनाने के लिये आदेश जारी किये गये हैं कि हर स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी अपने कार्यालय में प्रतिदिन प्रातः ।। बजे से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतें सुने और उनका निराकरण करें । इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

10-भ्रष्टाचार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को जर्जर किया है। मेरी सरकार भ्रष्टाचार को जीवन के किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ऐसी कारगर व्यवस्था करेगी कि कल्याण कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा प्रदेश की प्रगति के लिये जितना धन सरकारी खजाने से जाता है उसका पूरा-पूरा लाभ हमारी जनता को मिले। जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलेंगी उनकी जांच प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ताकि गलत काम करने वालों पर अंकुश लगे।

11-अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन मेरी सरकार की प्राथमिकता का विषय है। इस संबंध में मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1995-96 तक के 6000 चिन्हित अम्बेडकर ग्रामों में से अवशेष ग्रामों को एक माह के भीतर और वर्ष 1996-97 के लिये 5000 चिन्हित अम्बेडकर ग्रामों में से अवशेष ग्रामों को तीन माह के भीतर ही एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, नि:शुल्क बोरिंग, इन्दिरा आवास, ग्रामीण शौचालय, किसान पेंशन, स्कूल भवन, खड़ंजा, नाली एवं विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों से संतृप्त कर लिया जायेगा। सम्पर्क मार्गों का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। अम्बेडकर ग्रामों एवम् गांधी ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

12-गांवों में उपलब्ध आवंटन योग्य समस्त भूमि का आवंटन पात्र भूमिहीन खेतिहर मजदूरो को 9 मई, 1997 तक विशेष अभियान चला कर करने तथा आवंटियो को कब्जा दिलाये जाने का भी निर्णय लिया गया है। विशेष अभियान के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियो के कब्जों को नियमित किया जायेगा। अवैध कब्जों को हटाकर भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों को किया जायेगा। इसके साथ ही, आवंटियों की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाकर उनके विरूद्ध मुकदमें चलाने हेतु कार्यवाही भी की जायेगी।

13-उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग काफी दिनों से एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। मेरी सरकार इसके लिये वचनबद्ध है। मेरी सरकार इसी सत्र में पुन: केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ताकि नये राज्य के गठन में किसी टालमटोल अथवा विलम्ब की गुंजाइश न रहे।

14-प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों में शिक्षा के विकास के लिये छात्रवृत्ति की योजना काफी समय से चल रही है लेकिन इसकी दरें इतनी अपर्याप्त थीं कि उससे किसी भी छात्र को कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी

सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं विकलांग छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की दरों को दुगुना करने का फैसला कर लिया है। कक्षा 1 से 5 की छात्रवृत्ति 12 रूपये से बढ़ाकर 25 रूपये कर दी गई है। कक्षा 6 से 8 की दर 20 रूपये से बढ़ाकर 40 रूपये तथा कक्षा 9 एवं 10 की दर 30 रूपये से बढ़ाकर 60 रूपये मासिक कर दी गयी है। इस फैसले से लगभग 108 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। अनुसूचित जाति के गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वतः रोजगार योजना, दुकान निर्माण योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना तथा विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन्हें और सुदृढ़ किया जायेगा।

15. गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारपरक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1997-98 के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मैदानी जिलों के लिये 380 करोड़ तथा पहाड़ी जिलों के लिये 36 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

16. मेरी सरकार ने जब कार्यभार संभाला तो उत्तर प्रदेश के गन्ना और आलू उत्पादक किसान अपनी उपज की बिक्री और भण्डारण की समस्या से परेशान थे। यह एक जटिल समस्या है जो दीर्घकालीन नीति एवं व्यवस्था के अभाव के कारण हुई। फिर भी मेरी सरकार ने उसे हल करने के लिये फौरी कदम उठाये हैं। किसानों के हित में आलू भण्डारण की समस्या को हल करने के लिये विद्युत बकायों को स्थगित करते हुये बन्द पड़े शीतगृहों को पुनः संचालित किया गया है। भविष्य में भण्डारण क्षमता का विस्तार करने हेतु आवश्यक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। अब तक सहकारी क्षेत्र के सात और निजी क्षेत्र के बीस कोल्ड स्टोरेज चालू हो चुके हैं। शासन की नई नीति से बड़े पैमाने पर भण्डारण क्षमता बढ़ेगी।

17. आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। मेरी सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हर संभव प्रयास करेगी। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कृषि निवेशों यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक रसायन, कृषि उपकरण इत्यादि की समय से आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। ऊसर भूमि में सुधार करके कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से ऊसर सुधार की वृहद् योजना इस वर्ष कार्यान्वित की जायेगी।

18. मेरी सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। सिंचाई विभाग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर जनपद सिंचाई बन्धु का पुनर्गठन किया गया है। सिंचाई जल के प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भी कदम उठाये जायेंगे।

19.मेरी सरकार लोगो को लाभप्रद रोजगार दिलाने, खेती की उपज बढ़ाने और उसे फायदेमन्द बनाने, उत्तर प्रदेश में छोटे-बड़े हर प्रकार के उद्योगों को लगाने और पुराने उद्योगों के विकास के लिये एक सुनियोजित स्कीम लागू करेगी। देश और विदेश के उद्यमियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि मौलिक मुद्दों पर हम सबकी समान सोच है और आम सहमति है। उत्तर प्रदेश के सभी राजनैतिक दलो को अपने रातनैतिक मतभेद एक किनारे रखकर विकास के महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे बिजली, सड़क, संचार, पानी व अन्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिये न्यूनतम आवश्यक सहमति जरूरी है। मेरी अपेक्षा है कि आप सब प्रदेश के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उत्थान के महायज्ञ में मेरी सरकार को सहयोग प्रदान करें।

20.प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से मेरी सरकार उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगी। व्यापार कर से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा। इन्स्पेक्टर राज को समाप्त किये जाने की दिशा में उठाये गये कदमो को और अधिक सख्ती से लागू किया जायगा। उद्यमियों के लिये भूमि, बिजली एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं सरल बनाया जायेगा। मेरी सरकार द्वारा शीरा और अल्कोहल आधारित उद्योगों के विकास का प्रयास किया जा रहा है।

21.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता और कार्यकुशलता में सुधार लाकर उन्हे लाभदायी बनाना मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में कर्मचारियों तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता लाने का प्रयास किया जायेगा।

22.मेरी सरकार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भी कृत संकल्प है। 45 नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये भारत सरकार से लाईसेंस प्राप्त हो चुके हैं। मेरी सरकार द्वारा किसानों के गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान तत्परता पूर्वक सुनिश्चित किया जा रहा है।

23.मेरी सरकार उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देगी। साथ ही विशेष रूप से कृषकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करेगी। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जायेगी। विद्युत उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि को देखते हुये निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर विशेष बल दिया जायेगा। उपभोक्ताओं को उचित दर पर, अच्छी गुणवत्ता की पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

24.मेरी सरकार द्वारा गांवों में स्वच्छ शौचालय, खड़ंजा, नाली आदि के निर्माण व्यापक स्तर पर किये जा रहे हैं। पंचायत पदाधिकारियों के व्यापक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये दसवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रकाश में पर्याप्त सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। संविधान संशोधन के उद्देश्यो को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय एवं ग्रामीण पंचायती राज इकाइयों एवं संस्थाओं को प्रशासनिक एवं आर्थिक अधिकार दिये जायेंगे ताकि वे स्थानीय लोगो की जरूरतों के अनुसार विकास के कार्य कर सकें।

25.मेरी सरकार द्वारा पशुपालन विकास को उचित महत्व प्रदान किया गया है। प्रदेश के 54 जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से शीघ्र ही 'उत्तर प्रदेश डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट' प्रारम्भ की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत पशु प्रजनन व स्वास्थ्य सुविधाओं को घर-घर जाकर उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को न्याय पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ कराये जायेंगे। लघु सीमान्त कृषकों एवं उनके बेरोजगार आश्रितों को स्व-रोजगार के अवसर सुलभ कराने के दृष्टिकोण से नौ जनपदों में 20 हजार पक्षी कुक्कुट ब्रायलर काम्प्लेक्स की स्थापना करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में पशुधन की अवैध निकासी रोकने के प्रभावी उपाय किये जायेंगे।

26.मेरी सरकार दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिये कृत संकल्प है। इसके लिये पशुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं संतुलित आहार के लिये समुचित प्रबन्ध किया जा रहा है। अम्बेडकर ग्रामों में 955 सहकारी दुग्ध समितियों के गठन तथा ग्रामीण परिवार कल्याण परियोजना का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट सचल गुण नियंत्रण दस्तों के गठन पर विचार किया जा रहा है।

27.मेरी सरकार पूरे प्रदेश में और प्रमुख रूप से ग्रामीण अंचलों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और उपलब्ध जल स्रोतों के विकास हेतु कटिबद्ध है, जिससे निर्बल वर्ग के रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। कतिपय शहरों में मण्डी परिषद के माध्यम से मत्स्य विपणन इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है।

28.प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को और अधिक जनोन्मुखी, जनोपयोगी एवं अधिक गतिशील बनाये जाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों को अधिक सक्रिय एवं सुदृढ़ किया जायेगा तथा इनके निजी संसाधनों को इस प्रकार विकसित किया जायेगा कि वे आत्म निर्भर हो जायं। मेरी सरकार सहकारी संस्थाओ की कार्य पद्धति को प्रभावी एवं सरल बनाने की दृष्टि से सहकारिता अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी।

29.मेरी सरकार प्रदेश की जनता को खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

30.नगरों की मूलभूत भौतिक सुविधाओं पर तीव्र गति से बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या के कारण, बढ़ती बेरोजगारी, मलिन बस्तियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को देखते हुये उत्तर प्रदेश में शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत चलाया जा रहा है । स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु शासन कृत-संकल्प है ।

31.मेरी सरकार आवासीय समस्या के समाधान के लिये सतत् प्रयत्नशील है । आवास नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सरल बनाया गया है । समाज के कमजोर वर्गों के लिये एक लाख भवन एवं साइट्स दैनिक भुगतान पर उपलब्ध कराये जायेंगे । मेरी सरकार द्वारा कम लागत की तकनीक विकसित कर सस्ती भवन सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । नजूल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने से प्राप्त धनराशि से विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों को वित्तीय सहायता देने के लिये नगर विकास निधि का गठन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने व अनधिकृत निर्माण को नियंत्रित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था की जायगी ।

32.मेरी सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में सामान्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी । नगरीय पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । कानपुर की पेयजल की समस्या के समाधान के लिये गंगा बैराज और आगरा, मथुरा व वृन्दावन नगरों में जलापूर्ति के लिये गोकुल बैराज निर्माणाधीन है । आगरा में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान के लिये यमुना नदी पर बैराज का निर्माण विचाराधीन है । गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में गंगा की सहायक नदियों, गोमती तथा यमुना को भी शामिल किया गया है ।

33.मेरी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु प्रतिबद्ध है । पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा रोजगार तथा आमदनी के अवसर बढ़ाने, भूमि आधारित उद्योगों जैसे कृषि, बागवानी, रेशम, चाय, जड़ीबूटी, मसाले की खेती बेमौसमी सब्जी, मशरूम आदि का उत्पादन चयनित क्षेत्रों में बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर महिला वन पंचायतों का गठन किया जायगा ।

34.मेरी सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कृत संकल्प है । विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओ के लिये पुस्तक बैंक की स्थापना,

प्रत्येक जिले में छात्रावास का निर्माण, नवोदय विद्यालयो की स्थापना, दशमोत्तर कक्षाओं की छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जातियों एवं अनूसूचित जनजातियों की तरह से छात्रवृत्ति तथा विशेष ज्येष्ठता छात्रवृत्ति दिये जाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

35. अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुये मेरी सरकार ने वक्फ बोर्ड के कर्मचारियो को अभी हाल में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि को दुगना किया है।

36. मेरी सरकार बुनकरों के कल्याण एवं हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। सहकारी एवं निजी क्षेत्र में बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक उत्पादन के लिये प्रेरित किया जायेगा और इसकी विपणन व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी।

37. विकलांगों के सर्वांगीण विकास के लिये विकलांग कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढांचा मण्डल और जिला स्तर पर स्थापित किये जाने की कार्यवाही वर्ष 1997-98 में किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विकलांगों के अधिकारों और समस्यायों की सुनवाई इत्यादि करने के लिये आयुक्त विकलांग कल्याण के संगठन का सृजन भी वर्ष 1997-98 में किया जाना प्रस्तावित है।

38. महिलाओं के कल्याण के लिये राज्य में महिला आयोग का गठन प्रस्तावित है। विधवाओं को विधवा अनुदान नामक योजना से संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में बच्चो के कल्याण के लिये वित्तीय वर्ष 1997-98 में 200 अतिरिक्त विकास खण्डों में समेकित बाल विकास परियोजना को संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

39. मेरी सरकार बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन करने के लिये कृत संकल्प है। विभिन्न उद्योगों से मुक्त किये गये बाल श्रमिको की शिक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध किये जायेंगे और उनके परिवार को वैकल्पिक रोजगार अथवा सहायता दी जायेगी। खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्राविधान कड़ाई से लागू किये जायेंगे। जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की अधिक आबादी है, वहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद, कानपुर-देहात, फतेहपुर और उन्नाव जनपदों में नये औषधालय खोले जायेंगे।

40. मेरी सरकार द्वारा वनों, वृक्षों तथा वन्य जीवों के संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में वनो के संरक्षण तथा समग्र विकास के लिये उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 'उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना'

1 नवम्बर, 1997 से लागू हो जायेगी । पर्यावरण सुधारने के लिये नगरों में भी अधिक वृक्ष लगाये जायेंगे तथा वाहनों के प्रदूषण को रोकने की भी कार्यवाही की जायेगी ।

41. मेरी सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है । इस दिशा में पर्याप्त संख्या में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा । छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये 22 जनपदों के 25 विद्यालयों को दो पालियों में चलाया जायेगा और इस वर्ष 290 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

42. मेरी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिये नये महाविद्यालय, संस्थान, संकाय एवं विभाग खोलने की प्रक्रिया सरल की जायेगी । अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये नये महिला महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिये कृत-संकल्प है । विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्रों के कल्याण के लिये "विद्यार्थी सुरक्षा बीमा" योजना लागू की जायेगी ।

43. मेरी सरकार जन-साधारण को सरल और आधुनिक चिकित्सा सुलभ कराने के लिये कृत-संकल्प है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपचार के लिये विशेष योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी । विश्व बैंक की सहायता से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना प्रारम्भ की जायेगी । परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णरूपेण स्वैच्छिक बनाया जायेगा और 'लक्ष्य मुक्त पद्धति' लागू की जायेगी । स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की अत्यधिक दरों को युक्तिसंगत बनाया जायेगा जिससे अस्पतालों में कमजोर वर्ग के रोगियों पर असह्य भार न पड़े ।

44. मेरी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । शासन के इस निर्णय के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली सभी संस्थायें पूर्णतः स्व-वित्त पोषित होंगी । इसके साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी संकाय खोलने का भी निर्णय लिया गया है ताकि उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारपरक बनाया जा सके ।

45. मेरी सरकार राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक स्थिरता के लिये न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिये दृढ़ संकल्प है साथ ही न्यायिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिये भी सतत प्रयत्नशील है ।

46. नियमित न्यायालयों पर बढ़ते हुये बोझ को कम करने, सुलह समझौते के आधार पर वादों के शीघ्र निस्तारण तथा लोक अदालतों की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 'लीगल सर्विसेज अथारिटी ऐक्ट' के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

47.मेरी सरकार द्वारा सड़कों के रख-रखाव एवं नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी। चिन्हित अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों से और बड़ी आबादी वाले ग्रामों को हर मौसम में चलने वाले मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। मेरी सरकार इस वर्ष वाराणसी-शक्ति नगर मार्ग का निर्माण करने व दिल्ली-मथुरा मार्ग को चौड़ा करने व वाराणसी शहर के बाईपास पर, गंगा नदी पर सेतु का निर्माण करने का कार्य पूरा कराने के लिये भी प्रयत्नशील है।

48.मेरी सरकार जनता को सुविधाजनक यातायात उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बस यात्रियों की पेयजल व्यवस्था के लिये बस स्टेशनों पर इण्डिया मार्का-टू हैण्डपम्प लगवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

49.प्रदेश में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उसको प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परम्परा से परिचित कराने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख मेलों एवं त्यौहारों को विशेष रूप से चिन्हांकित करके, उसकी सन् 2000 तक की तिथियां निर्धारित कर उनका वृहद् स्तर पर प्रचार एवं प्रसार कराया जा रहा है।

50.मेरी सरकार 20सूत्री कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये कृत-संकल्प है।

51.इस वर्ष हम आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और भारत सरकार ने आजादी के जश्न को जोर शोर से मनाने के लिये कुछ दिशा निर्देश दिये हैं, जिनका समावेश करते हुये उत्तर प्रदेश में भी सालभर चलने वाले कार्यक्रमों की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह समारोह इस तरह से मनाये जायेंगे कि स्वाधीनता आन्दोलन की प्रमुख घटनाओं की याद ताजा करने के साथ उन जीवन मूल्यों और लक्ष्यों को भी फिर से सामने रखा जा सके, जिनके लिये लाखो लोगों ने त्याग और बलिदान किया था। इस अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान और सुविधा की ओर विशेष ध्यान देंगे।

52.मेरी सरकार ने ऐसे बुद्धिजीवियों को 'डा0 अम्बेडकर गौरव' पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जो बाबा साहब के कार्यों और विचारों को आगे बढ़ाने में अद्वितीय कार्य करेगी। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। इसके लिये रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

53.प्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जा रोकने तथा सरकारी अभिलेख में सम्पत्ति के सम्बन्ध में सही इन्दराज किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

54. मेरी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये कृत-संकल्प है। राज्य की वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना के लिये 7080 करोड़ रुपये का आकार स्वीकृत हुआ है। मेरी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से 2200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिये प्रयत्नशील है। राज्य के आयोजनेतर व्यय में मितव्ययिता बरतने एवं अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिये व्यय बचत आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त कराधान के सम्बन्ध में बजाज कमेटी की संस्तुतियों को भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

55. व्यापार कर की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा तथा कर की दरों को सुसंगत किया जायेगा। गत वर्षों में लागू स्वतः कर निर्धारण योजना तथा समाधान योजनाओं को इस वर्ष भी लागू किया जायेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 का दुरुपयोग रोका जायेगा।

56. प्रदेश में समतामूलक समाज की स्थापना करना तथा समरसता की भावना पैदा करना मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश की जनता धर्म, सम्प्रदाय और संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भाईचारे का व्यवहार करें ताकि जन-मानस में एक ऐसा वातावरण बने, जिसमें ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, दबंग-कमजोर के बीच बढ़ती हुई खाई कम हो सके।

57. माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र के पूर्व मैंने दो अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, उनके प्रतिस्थानी विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। कुछ नये विधेयक भी आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिन्हें पारित करने की अपेक्षा आप से की जायेगी।

58. अपना अभिभाषण समाप्त करने से पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि लोकतंत्र का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर आपका आचरण कैसा है। मुझे उम्मीद है कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा प्रमुख होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं।

जयहिन्द

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, ऐसे संभव नहीं है कि आप हमारी बात न सुनकर मनमाने ढंग से सदन चलायें

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

मान्यवर, जब आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग आपकी नहीं सुनेंगे।

सदन तो नियमावली के अनुसार, मर्यादाओं के अनुसार, परम्पराओं के अनुसार चलेगा।

(व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति न मिलने पर श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ श्री बिहारी लाल आर्य, श्री श्याम किशोर यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री राज किशोर यादव के साथ कांग्रेस पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के कई सदस्य, सदन के प्लोर पर आ गये और जोर-जोर से नारे लगाने लगे प्रयास भी किया)।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)(संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)(संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 की त्रुटियों के शोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत विधि

(संशोधन) विधेयक, 1995 में किये गये त्रुटियो के शोधनो का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं विधेयक के-

1-खण्ड 4 के, उपखण्ड (ड) की, प्रथम पंक्ति के अन्त में प्रयुक्त शब्द 'कार्यवाही' के स्थान पर शब्द किसी कार्यवाही',

2-खण्ड 5 के, उपखण्ड (क) की, प्रथम व द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर शब्द किसी' तथा,

3-खण्ड 30 के उपखण्ड (2) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'पंचायत निधि' के स्थान पर शब्द 'पंचायत विधि' तथा शब्द 'कंचायत राज' के स्थान पर शब्द 'पंचायत राज' रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 की त्रुटियों के शोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 के किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण-विधेयक में, अनुसूची में-

1-पृष्ठ 2 पर, अनुदान/क्रम संख्या 19 के समक्ष, स्तम्भ 2 में, प्रथम पंक्ति में शब्द 'कर्मिक एवं नियुक्ति' के स्थान पर शब्द 'कार्मिक'

2-पृष्ठ 3 पर, अनुदान/ क्रम संख्या "29" के स्थान पर चिन्ह और शब्द"29"

3-पृष्ठ 3 पर, सबसे अन्त में रेखांकन के नीचे चिन्ह और शब्द "भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या, तथा

4-पृष्ठ 5 पर अनुदान/क्रम संख्या 95 के समक्ष, स्तम्भ 2 में, प्रथम पंक्ति में शब्द "उत्तरांचल" के स्थान"उत्तराखण्ड" रख दिया गया है।

(कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने

अपने दिनांक 20 जुलाई, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 जुलाई, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने-अपने स्थान पर जाने का कष्ट करें।

(समाजवादी पार्टी के एवं कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने के कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मद संख्या-8 का शेष पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

(मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 पर , जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया)।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

(मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का अट्ठरहवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 जुलाई, 1995 की बैठक में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 अगस्त, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 जुलाई, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 25 अक्स्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अक्स्त 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्स्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अक्स्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अक्स्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अक्स्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।]

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 17 अक्स्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अक्स्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 24 अक्स्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।]

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल-न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

[माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायलय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 जुलाई, 1995 की बैठक में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक । अक्स्त 1995 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 24 अक्स्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।]

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

।माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।।

उत्तर प्रदेश वस्तु (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

।माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश वस्तु (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।।

उत्तर प्रदेश आमोद और पथकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

।माननीय, मैं अपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पथकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अगस्त, 1995 को वापस हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का अठ्ठाइसवां अधिनियम बन गया।।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

।माननीय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।।

नोट:-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

(मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अगस्त, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

(मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अगस्त, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का इकतीसवां अधिनियम बन गया।)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

(मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 अगस्त, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।)

(कांग्रेस पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे तथा जोर-जोर से नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 9 और 10 पर कोई सूचना नहीं है।(व्यवधान) मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी। । बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित

नोट:-() () यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन । बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । । बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई) ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष-

कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) में सबको उसके बाद सुनूंगा (व्यवधान) ऐसे में यहा पर पूरी बात आपके समझ में भी नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आप नियमों से चलेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष-

मैं नियमों से चलूंगा और नेताओं तथा माननीय सदस्यों के सहयोग से सदन चलाऊंगा ।

श्री धनीराम वर्मा-

इस सरकार ने अभिभाषण तैयार करके महामहिम राज्यपाल को दिया था और वह अभिभाषण प्रदेश की जनता के लिये तथा, श्रमिक वर्ग के हित के लिये और शोषित वर्ग के लिये होना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी कृपया एक चीज स्पष्ट कर दें, आप व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं या.....

श्री धनीराम वर्मा-

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । तो मैं कह रहा था वह अभिभाषण किसी के हित के लिये नहीं था इसलिये हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध किया था कि आप इस अभिभाषण को न पढ़े । महामहिम ने हम लोगों की बात स्वीकार करके उस अभिभाषण को नहीं पढ़ा । इसलिये उस अभिभाषण को जब तक ठीक कर पुनः समवेत् सदन बुलाकर नहीं पढ़ा जाता तब तक उसे आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिये मैं अनुरोध करना चाहूंगा सारी कार्यवाही जो अभी पीछे आपने करने का प्रयास किया उसको स्थगित किया जाय । पुनः सदन समवेत् कर तब कार्यवाही चले ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी इसी विषय पर आप कुछ कहना चाहते हैं?

नोटः-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार-

जी, मान्यवर, कृपया नियमावली के नियम 19 देखें अनु0 176(1) में स्पष्ट कर दिया हुआ है। उसमें दिया है प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारम्भ में प्रदेश के राज्यपाल जी सभा को संबोधित करते हैं उसके लिये स्थान भी नियत होता है। वह कैबिनेट मीटिंग के बाद उसकी संस्तुति के अनुसार महामहिम राज्यपाल समय भी निर्धारित करते हैं और स्थान भी निर्धारित करते हैं। आज जो 21 तारीख को 11 बजे विधान मंडल में स्थान निश्चित था 11 बजे के स्थान पर 10.56 बजे आये और 10.58 बजे वह वापस भी चले गये। इस प्रकार जो 11 बजे का समय निर्धारित था माननीय राज्यपाल जी उस समय नहीं आये। चूंकि 11 बजे अभिभाषण नहीं हुआ इसलिये अभिभाषण प्रस्तुत हुआ ही नहीं। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं। महामहिम 11 बजे के स्थान पर 4 मिनट पूर्व आये और चले गये और राज्यपाल का अभिभाषण सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ, टेबिल पर नहीं रखा गया, एक शब्द बोले भी नहीं इसलिये इस अभिभाषण को आप पढ़कर सुनायेंगे कैसे? इसके बाद जो भी कार्यवाही करेंगे अभिभाषण के संबंध में वह पूरी तरह से असंवैधानिक होगी, नियमावली के नियम 19 के विपरीत होगी।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के साथ मेरी एक और व्यवस्था है, मान्यवर, यह नहीं हुआ कि उन्होंने इसको पढ़ा, अगर वह शुरू के और अंतिम के दो शब्द पढ़ लेते तो परंपरा के अनुसार हम मान लेते कि उन्होंने पढ़ा। यहां पर प्रश्न यह है कि वह समय से पहले आये और समय से पहले चले गये। जिस समय वह यहां आये, पता नहीं कि मुआइना करने आये, कुर्सी मेज देखने आये, टेलिविजन देखने आये, क्या देखने आये मैं नहीं जानता। वह 21 तारीख को 11 बजे इस आसन पर बिराजमान नहीं थे। इसके साथ ही मैं एक बात और नियम 311 के संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका व्यवस्था का प्रश्न महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से संबंधित है या किसी और विषय से संबंधित है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसी के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं आप तीनो की बात सुनने के बाद व्यवस्था दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या दो गुट हो गये हैं क्या श्री नरेश अग्रवाल जी को राष्ट्रीय पार्टी का नेता मान लिया गया है?

नोट:- *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह माननीय अग्रवाल जी बता दें।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, संविधान के अनु0 176 को देखें, उसमें दिया है कि राज्यपाल विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् विधान सभा के प्रथम सत्र...

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा के सत्र को नहीं, समवेत सदन को।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् समवेत् सदन में अभिभाषण देंगे लेकिन दुख की बात है कि राज्यपाल महोदय समय से पहले आये और चले गये, अपना अभिभाषण नहीं पढ़ा। श्रीमन् यह क्यों हुआ?(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न जो है उसके अलावा शेष नहीं लिखा जायेगा। आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को प्रक्रिया ही तक सीमित रहें। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस प्रकार की टिप्पणी नही की जा सकती। यह संगत नही है और अनुमन्य नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप संविधान का अनुच्छेद 167 देख लीजिये। संविधान के अनु0 167 में है कि राज्यपाल जी को अधिकार है कि प्रशासनिक मामलों की वह जानकारी मांगे लेकिन चूंकि नेता सदन और राज्यपाल में मतभेद हैं इसलिये उन्होंने अभिभाषण नहीं पढ़ा।

श्री रंगनाथ-

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये। इन तीनों माननीय सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे अपनी व्यवस्था दे देने दीजिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल:-(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। मैं अभी जिन माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर व्यवस्था दे रहा हूं।

माननीय धनीराम वर्मा जी ने यह कहा कि महामहिम राज्यपाल जी ने उनकी बात स्वीकार कर के भाषण नहीं पढ़ा तो स्थिति यह है कि महामहिम राज्यपाल जी

नोट:-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

(× × ×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ने अपने भाषण के पहले वाक्य और अंतिम वाक्य को पढ़ दिया। इसके पूर्व दृष्टान्त हैं और उनका पूरा भाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

माननीय तिवारी जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल जी समय से पहले आये तो सदन के घड़ी के अनुसार महामहिम राज्यपाल जी समय से आये।

माननीय अग्रवाल जी की आपात्ति निरर्थक है क्योंकि बाहर की खबर का हम संज्ञान नहीं ले सकते हैं और महामहिम राज्यपाल जी ने अपना भाषण पढ़ा है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, सुन तो लें फिर आपकी जो व्यवस्था होगी वह मान्य होगी।

(श्री धनीराम वर्मा के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, मैंने पाल जी को बोलने को कह दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय.....

(व्यवधान)

(लाठी गोली की सरकार "नहीं चलेगी-नहीं चलेगी", तानाशाही की सरकार "नहीं चलेगी-नहीं चलेगी", गुण्डागर्दी की सरकार "नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" आदि नारे लगाते हुये श्री धनीराम वर्मा समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये। श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री कोकब हमीद ने भी कतिपय सदस्यो के साथ सदन का त्याग किया।)

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, संविधान के अनु0 176 में स्पष्ट लिखा है कि सदन को आहूत करते समय महामहिम राज्यपाल सदन को आहूत किये जाने के कारण को भी बतायेंगे। यहां पर उन कारणों का उल्लेख नहीं हुआ है तो इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का संज्ञान सदन कैसे लेगा? श्रीमन् आप जो व्यवस्था देगें वह हमको शिरोधार्य है। आप संसदीय परम्पराओं से भिज्ञ हैं और संविधान के नियमों के अन्तर्गत सदन को चलाना चाहते हैं। मान्यवर, इसको देख लें संविधान में उल्लिखित है कि महामहिम राज्यपाल विधान मण्डल दल को उसके आवाह्न के कारणों को बतायेगें। मान्यवर, मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आप सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। आप जो भी निर्णय देंगे उसे हम पहले भी मानते आये हैं और आज भी मानेगें।

श्री अध्यक्ष-

श्री पाल जी आपकी आपात्ति सुन ली है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनु0 176 के अन्तर्गत विधान सभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात् चूंकि यह प्रथम सत्र है इसलिये उन्होंने इस सत्र को बुलाया है और यह स्वयं में एक पर्याप्त

नोट:-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारण है कि विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के बाद कोई पहला सत्र होता है तो राज्यपाल महोदय समवेत् सदन में भाषण देगें। अब इसके अतिरिक्त और कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। यदि और कोई कारण हो तो बतायेंगे।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने जो कहा था आप उस पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं कि राज्यपाल महोदय 11.00 बजे से पहले आये और 11.00 बजे से पहले ही चले गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मैं आगे की मद ले रहा हूं।

(कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य बिना कुछ कहे उठ कर चले गये)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें पढ़ रहा हूं।

1-सदन का दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 25 अप्रैल, 1997 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:-

अप्रैल, 1997

21 सोमवार

(1)11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

(2)12.30 बजे अपराह्न

(1)श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2)औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुर:स्थापन आदि, यदि कोई हो।

22 मंगलवार — निधन के निदेश

23 बुधवार

24 गुरूवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

25 शुक्रवार — (1)श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित असरकारी संकल्प का केवल प्रस्तुतीकरण:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थाई समाधान के लिये राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराया जाय"

(2)श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(3)नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घंटे की चर्चा:-

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खोले जा रहे 'पी0 एल0 ए0' पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें अब तक स्थानान्तरित धनराशि का प्रयोग निदिष्ट प्रयोजनों हेतु यथाशीघ्र किया जाय"

2-दिनांक 22 अप्रैल, 1997 को निधन के निर्देश होने के कारण उस दिन प्रश्न काल न रखा जाय और प्रश्न कार्य-सूची में भी सम्मिलित न किये जायें तथा नियम-51,56,300,301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाय।

3-दिनांक 23,24 तथा 25 अप्रैल, 1997 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है की कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में जो सूचना मा0 संसदीय कार्य-मंत्री ने दी है, से यह सदन सहमत है?

प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधान सभा की वर्ष 1997-98 के लिये विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना सदन को देनी है।

उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की वर्ष 1997-98 की "लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

1. नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	गुरूवार 24 अप्रैल, 1997 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2. नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि समय	शुक्रवार 25 अप्रैल, 1997 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3. नामों की वापसी की तिथि तथा समय	मंगलवार, 29 अप्रैल, 1997 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्रांक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिये	सोमवार, 5 मई, 1997
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के लिये	मंगलवार, 6 मई, 1997

विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निदेशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1997।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

(व्यवधान)

नोट:-दिनांक 15-5-97 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपने कहा है की 22 अप्रैल को नियम-51, 56,300,301तथा 311/की सूचनायें न ली जायं। दिनांक 23, 24 तथा 25 अप्रैल को नियम-56 की सूचनायें न ली जाय। तो जो सूचना आज मेरे द्वारा दी गई है उसको मान लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

311 में नोटिस दिया है व्यवस्था इसलिये है। मान्यवर नियम-311 देख लें उसमें नियमों का निलम्बन है।

श्री अध्यक्ष-

311 की कोई सूचना कार्यालय में नही है यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनिदगन (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, में आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियगन (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)-

मान्यवर, में आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है की उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करन हतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, में आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करता हूं।

नोट:-*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:-दिनांक 15-5-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में अंश है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः मिलेंगे।

इसके बाद सदन अपराह्न 1.00 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 21 अप्रैल, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 60 विधान सभा (115)-1997-813 (ई0 टी0) 1